भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Developement Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

09040

फ़ा.नं:- SECU-11016/1/2024-SECURITYSECTION/ दिनांक:-02-07-2025

सार्वजनिक नोटिस संख्या/
Public Notice No.:- 05/2025

विषय: सीप्ज़- सेज़ में उन्नत सुरक्षा उपायों का कार्यान्वय

Subject:- Implementation of Enhanced Security Measures at SEEPZ-SEZ

इज़राइल और ईरान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति के मद्देनजर, जैसा कि MIDC पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, देश में विध्वंसकारी गतिविधियों, ड्रोन हमलों, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाने, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान पैदा करने और भीड़भाड़ वाले वाणिज्यिक क्षेत्रों में भगदड़ जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मुंबई, देश की वित्तीय राजधानी होने के नाते, विशेष रूप से संवेदनशील है। सीप्ज़- सेज़ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी यूनिट्स को निम्नलिखित उन्नत सुरक्षा उपायों को तत्काल लागू करना होगा और कर्मचारियों को वर्तमान स्थिति के बारे में जागरूक करना होगा:

सुरक्षा दिशानिर्देश:

1. **सीसीटीवी निगरानी**: सभी प्रवेश द्वारों और परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें और सुनिश्चित करें कि वे हमेशा कार्यशील स्थिति में हों।
2. **सतर्क सुरक्षा कर्मचारी**: सभी सुरक्षा गार्डों को वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दें और उन्हें ड्यूटी के दौरान अत्यधिक सतर्क रहने के लिए निर्देशित करें, विशेष रूप से

In light of the war-like situation in the border areas between Israel and Iran, as communicated MIDC Police Station, there is an increased risk of subversive activities, including drone attacks, rumor-mongering via social media, public disturbances, and potential stampedes in crowded commercial areas like Mumbai, the financial capital. To safeguard SEEPZ-SEZ, all units must immediately adopt the following enhanced security measures to strengthen their security systems and ensure employee awareness:

Security Guidelines:

1. **CCTV Surveillance**: Install and maintain high-quality CCTV cameras at all entry gates and premises, ensuring they are always operational.
2. **Vigilant Security Personnel**: Brief all security guards on the current situation and instruct them to remain highly alert, monitoring for suspicious persons or objects.
3. **Record Keeping**: Maintain

संदिग्ध व्यक्तियों या वस्तुओं पर ध्यान दें।
3. **रिकॉर्ड रखरखाव:** आपूर्तिकर्ताओं, सफाई/रखरखाव कर्मचारियों और आगंतुकों का पूर्ण और अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखें।
4. **प्राथमिक चिकित्सा किट:** प्रत्येक यूनिट में आवश्यक दवाओं के साथ एक सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध रखें।
5. **आपातकालीन संपर्क:** स्थानीय पुलिस स्टेशन, अग्निशमन स्टेशन और एम्बुलेंस सेवा के संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
6. **पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था:** रात के समय उपयोग होने वाले क्षेत्रों सहित पूरे परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. **नियमित गश्त:** सुरक्षा गार्डों द्वारा परिसर में नियमित गश्त और निगरानी की जाए।
8. **घटना प्रतिक्रिया:** आपात स्थिति में कर्मचारियों और आगंतुकों को घायल व्यक्तियों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करें।
9. **पब्लिक एड्रेस सिस्टम:** आपात स्थिति में लोगों को निर्देशित करने के लिए कार्यशील पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करें।
10. **संदिग्ध गतिविधि की सूचना:** परिसर में या आसपास कोई संदिग्ध ड्रोन, वस्तु या व्यक्ति दिखाई देने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को 1 0 0 या 8976952150 पर सूचित करें।

आवश्यक कार्रवाई:

सभी यूनिट प्रमुखों को इन दिशानिर्देशों को तत्काल लागू करना होगा, सुरक्षा कर्मचारियों के लिए नियमित ब्रीफिंग सुनिश्चित करनी होगी और सभी कर्मचारियों को वर्तमान स्थिति और उनकी

comprehensive, up-to-date records of all suppliers, cleaning/maintenance staff, and visitors.
4. **First Aid Kits**: Ensure a well-equipped first aid kit with essential medicines is available at each unit.
5. **Emergency Contacts**: Prominently display contact numbers for local police, fire station, and ambulance services.
6. **Adequate Lighting**: Provide sufficient lighting across premises, particularly during night hours, to mitigate security risks.
7. **Regular Patrolling**: Security guards must conduct frequent patrols and surveillance within the premises.
8. **Incident Response**: Encourage employees and visitors to assist in transporting injured persons to hospitals during emergencies.
9. **PA System**: Install and maintain a functional Public Address system to guide people during emergencies.
10. **Reporting Suspicious Activity**: Immediately report any suspicious drones, objects, or persons to the local police at 100 or 8976952150.

Action Required:

All unit heads must enforce these guidelines promptly, ensure regular briefings for security personnel, and inform all employees of the current situation and their responsibilities. Full compliance is critical to

जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करना होगा। मुंबई की वाणिज्यिक केंद्र के रूप में संवेदनशीलता को देखते हुए, SEEPZ-SEZ में सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखने के लिए पूर्ण सहयोग आवश्यक है।

maintaining safety and security at SEEPZ-SEZ, given Mumbai’s vulnerability as a commercial hub.

Digitally signed by
Mayur R Mankar
Date: 02-07-2025
11:54:02

(मयूर मानकर)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़